RAJYA SABHA

Friday, the 15th December, 2006/24 Agrahayana, 1928 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 341. ...(*Interruptions*).

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I had given a notice of urgent nature.

श्री सभापति: नहीं, क्वैश्चन ऑवर में आप इसे raise नहीं करें। आप क्वैश्चन ऑवर को disturb न करें। यह मेरी property नहीं है, हाऊस की property है। इसमें सारे मैम्बर्स का interest है।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Okay, Sir, we may be permitted to raise it in Zero Hour.

श्री सभापति: मैं इसे बाद में देखूँगा। Now, Question No. 341.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लंबित योजनाएं

*341. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कितनी योजनायें स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी; और

(ग) दोनों प्रदेशों में कुल कितने ''वन ग्राम'' है तथा इन्हें राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) मंत्रालय को राज्य/संघ शासित सरकारों से गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वनभूमि के प्रयोग हेतु ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जिनके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। इन प्रस्तावों को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करने से पूर्व इन पर अधिनियम के अंतर्गत वन सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इस तरह समय-समय पर कुछ प्रस्तावों पर मंत्रालय में विचार होता रहता है। इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त 31 प्रस्ताव मंत्रालय में कार्रवाई हेतु विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रस्तावों की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे **देखिए**)

(ग) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 421 और 925 वन गांवों की पहचान की गई है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मध्य प्रदेश में 384 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदला गया है। तथापि इन सभी परिवर्तित गांवों में वनभूमि की कानूनी स्थिति के अनुसार वह अभी भी वनभूमि है। यह महसूस किया गया था कि भूमि की कानूनी स्थिति को वन से गैर-वन राजस्व भूमि में बदलने से इन गांवों के निवासियों को कदाचित ही कुछ लाभ मिला है। अत: वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की कार्रवाई की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वनभूमि के अनारक्षण पर लगाई गई रोक तक आस्थगित रखा गया है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्वानुमोदन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचारार्थ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

क्र० सं०	प्रस्ताव का नाम	राज्य	लंबित रहने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	अचानकमार के कम्पार्टमेंट नं० (आर एफ 454, 455, 456, 458, 550) और (पी० एफ० 1215, 1216) में बंकल,बहोद, बोकराकचार, समरधासन, जालदा और दूबा के पुन: स्थापन हेतु वनभूमि का विपथन (डायवर्शन)	छत्तीसगढ़	08.11.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
2	खलगांव स्टेज II, चरण II के अंतर्गत सिपत एन टी पी सी और रांची के बीच 400 कि०वा डी/सी सिपत-रांची ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	छत्तीसगढ़	11.11.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।

1	2	3	4	5
3	मैसर्स पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्रा॰ लि॰ के पक्ष में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए वन भूमि का विपथन	छत्तीसगढ़	20.10.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
4	जल संसाधन विभाग के पक्ष में कटघोड़ सिंचाई परियोजना का निर्माण	छत्तीसगढ़	26.10.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
5	बरनावापरा अभ्यारण के नवापाड़ा, रामपुर, और लतादादर में कम्पार्टमेंट नं॰ 500, 501, 507, 509, 795 और 796 के पुन: स्थापन के लिए वनभूमि का विपथन	छत्तीसगढ़	08.11.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
6	जल संसाधन विभाग के पक्ष में भोजिया सिंचाई परियोजना के निर्माण	छत्तीसगढ़	14.08.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
7	जल संसाधन विभाग के पक्ष में कलो सिंचाई परियोजना (इंदिरा सागर)	छत्तीसगढ़	14.09.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
8	मैसर्स एम ए ए बामलीशरी माइन्स एंड इम्पात लि॰ के पक्ष में वन रेंज साल्हेवाड़ा के अंतर्गत लोह-अयस्क खनन का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	16.10.06	प्रस्ताव को वन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
9	रायपुर अॅलाय एंड स्टील लि॰ के पक्ष में पहुंच मार्ग का निर्माण	छत्तीसगढ़	22.11.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
10	वैस्टर्न कोलफील्ड लि॰ के पक्ष में शोभापुर माईंस के लिए सरफेस राइट का नवीकरण	मध्य प्रदेश	24.05.06	प्रस्ताव को वन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
11	नगर निगम भोपाल द्वारा पुनर्वास कार्य का निर्माण	मध्य प्रदेश	22.11.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
12	ए सी सी रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन लि॰ द्वारा बकसवाहो और पालदा वन क्षेत्र में पूर्वेक्षण/सैम्पलिंग	मध्य प्रदेश	21.11.06	प्रस्ताव जांच की जा रही हैं।

1	2	3	4	5
13	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि॰ के पक्ष में खनन पट्टा हासिल करना	मध्य प्रदेश	13.09.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
14	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि॰ के पक्ष में कम्पार्टमेंट नं॰ 717 में खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	11.10.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
15	डब्ल्यू सी एल के पक्ष में खनन पट्टा हासिल करना	मध्य प्रदेश	15.09.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
16	डब्ल्यू सी एल के पक्ष में खनन पट्टों का नवीकरण	मध्य प्रदेश	15.09.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
17	जल संसाधन विभाग के पक्ष में सिमरिया सिंचाई परियोजना का निर्माण	मध्य प्रदेश	19.05.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
18	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में घास वीड का निर्माण	मध्य प्रदेश	15.09.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
19	नगर पालिका इंदौर के पक्ष में मरमाड़ा वाटर पाइपलाइन बिछाना	मध्य प्रदेश	29.11.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
20	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लि॰ के पक्ष में इंदौर से खालघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की सड़क को चौड़ा करना	मध्य प्रदेश	26.07.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
21	मैसर्स अंकुन प्रा॰लि॰ के पक्ष में लैटराइड एंड फायर क्ले खनन पट्टे के पूर्वेक्षण हेतु अनुमति	मध्य प्रदेश	18.10.06	उल्लंघन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
22	बालाजी मार्बल और टाइल्स के पक्ष में लघु खनिज उत्खनन	मध्य प्रदेश	24.08.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
23	नगर पंचायत के पक्ष में बस स्टैण्ड और पार्किंग स्थल का निर्माण	मध्य प्रदेश	17.11.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5
24	हेलोन सिंचाई परियोजना के लिए हेलोन नदी पर बांध निर्माण	मध्य प्रदेश	05.06.06	स्थल निरीक्षण और आवश्यक विवरण की प्रतीक्षा है।
25	एम पी ई बी के पक्ष में 132 के॰ वी विदिशा-गोरगंज ट्रांसमिशन लाईन बिछाना	मध्य प्रदेश	23.08.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
26	कानेरी टैंक परियोजना	मध्य प्रदेश	11.10.06	प्रस्ताव को वन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
27	मैसर्स जुसलोन एनर्जी लि॰ के पक्ष में विन्ड फार्म का निर्माण	मध्य प्रदेश	02.08.06	प्रस्ताव कह जांच की जा रही है।
28	132 के वी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	मध्य प्रदेश	17.11.06	राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।
29	राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के 544 कि॰ मी॰ से 652 कि॰ मी॰ तक के लाधनाडोन से एम पी/एम एच सीमा तक चरण II कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्गों के 4/6 लेन विस्तार क्षेत्रों का कन्वर्शन	मध्य प्रदेश	05.04.06	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
30	दुधी चुआ संरक्षित वन के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं॰ 258 से 262 में चन्देला एक्सटेंशन ब्लाक में साहला ओ सी एम में कोयले के संबंध में पूर्वेक्षण हेतु वन भूमि का डायवर्शन	मध्य प्रदेश	25.10.06	प्रस्ताव को वन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
31	मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट सीमेंट डिवीजन के पक्ष में सड़क को चौड़ा करना और सड़क पर कंकरीट बिछाना	मध्य प्रदेश	16.10.06	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Pending Schemes of Madhya Pradesh and Chhattisgarh

†*341. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

†Original notice of the question was received in Hindi.

(a) the number of schemes of Madhya Pradesh and Chhattisgarh pending for clearance under the Forest (Conservation) Act;

(b) by when these schemes would be cleared; and

(c) the number of 'Van Gram' in both the States and by when the process of changing them into revenue villages will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMONARAIN MEENA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Ministry receives proposals from the State/Union Territory Governments for use of forest land for non-forestry purposes for which prior approval of the Central Government is required under the Forest (Conservation) Act, 1980. The proposals are considered by the Forest Advisory Committee constituted under the Act before being put up to the competent authority for decision. This is a continuous process and hence, at any point of time, some proposals always remain under consideration of the Ministry. Presently, 31 proposals received from the Government of Chhattisgarh and Madhya Pradesh are at different stages of processing in the Ministry. A Statement showing the details of these proposals is enclosed as Annexure. (*See* below)

(c) There are 421and 925 forest villages identified by the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh respectively. On the basis of the proposals received from the State Government 384 forest villages have been converted into revenue villages in Madhya Pradesh. However, the legal status of the land in all these conversions has remained as forest land. It was felt that by not changing the legal status of the land from forest to non-forest revenue land, the conversion of forest villages into revenue villages hardly accrues any benefit to the habitants of these villages. Therefore, further conversion of forest villages into revenue villages has been kept in abeyance till the ban imposed by the Hon'ble Supreme Court on dereservation of forest land is lifted.

Statement

Proposals received from the State Government of Chhattisgarh and Madhya Pradesh under consideration of the Ministry of Environment and Forests for prior approval under the Forest (Conservation) Act, 1980

Sl. No.	Name of Proposal	State	Date of pendency	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Diversion of forest land for relocation of Bankal, Bahaud, Bokrakachhar, Samardhasan, Jalda and Duba in compartment no. (R.F. 454, 455, 456, 458, 550) and (P.F. 1215, 1216) of Achanakmar Sanctuary	Chhattis-garh	08.11.06	The site inspection by Regional Office is to be conducted
2.	Construction of 400 KV D/C Sipat-Ranchi transmission line between Sipat NTPC and Ranchi under Khalgaon Stage-II, Phase-II	Chhattis-garh	11.11.06	The site inspection by Regional Office is to be conducted
3.	Diversion of forest land for setting up of Steel plant in favour of M/s Pushp Steel and Mining Private Limited	Chhattisgarh	20.10.06	The proposal has been placed before the Forest Advisory Committee
4.	Construction of Katghora irrigation project in favour of Water Resource Department	Chhattis-garh	26.10.06	The proposal is under examination
5.	Diversion of forest land for relocating of Nawapara, Rampur and Latadadar of Barnawapara sanctuary in Compartment No 500, 501, 507, 509, 795 and 736	Chhattis-garh	08.11.06	The site inspection by Regional Office is to be conducted

1	2	3	4	5
6.	Construction of Bhojia irrigation project in favour of Water Resource Department	Chhattis-garh	14.08.06	The proposal is under examination
7.	Kelo irrigation project (Indira sagar) in favour of Water Resource Department	Chhattis-garh	14.09.06	The site inspection by Regional Office is to be conducted
8.	Prospecting of Iron Ore Mining under forest range Salhewara in favour of M/s MAA Bamlishari Mines & Ispat Ltd.	Chhattis-garh	16.10.06	The proposal has been placed before the Forest Advisory Committee
9.	Construction of approach road in favour of Raipur Alloys & Steels Ltd.	Chhattis-garh	22.11.06	The proposal is under examination
10.	Renewal of surface right for Shobhapur Mines in favour of Western Coalfields Limited	Madhya Pradesh	24.05.06	The proposal has been placed before the Forest Advisory Committee
11.	Construction of rehabilitation work by Nagar Nigam Bhopal	Madhya Pradesh	22.11.06	The proposal is under examination
12.	Prospecting/Sampling in Bakswaho & Palda forest area by ACCRIO Tinto Exploration Ltd.	Madhya Pradesh	21.11.06	The proposal is under examination
13.	Extraction of Mining lease in favour of Western Coalfields Ltd.	Madhya Pradesh	13.09.06	The proposal is under examination
14.	Renewal of Mining lease in Compartment No. 717 in favour of Western Coalfields Limited (WCL)	Madhya Pradesh	11.10.06	The site inspection by Regional Office is to be conducted
15.	Extraction of Mining lease in favour of WCL	Madhya Pradesh	15.09.06	The proposal is under examination

16.	Renewal of Mining lease in favour of WCL	Madhya Pradesh	15.09.06	The proposal is under examination
17.	Construction of Simariya irrigation project in favour of Water Resource Department	Madhya Pradesh	29.05.06	The proposal is under examination
18.	Construction of Ghass veed in favour of National Highways Authority of India	Madhya Pradesh	15.09.06	The proposal is under examination
19.	Laying Marmada Water pipeline in favour of Nagar Palika Indore	Madhya Pradesh	29.11.06	The proposal is under examination
20.	Road Widening of NH No. 3 from Indore to Khalghat in favour of National Highway Authority of India Ltd.	Madhya Pradesh	26.07.06	The proposal is under examination
21.	Permission for prospecting of Latrite and Fire clay mining lease favouring M/s Ankun Private Limited	Madhya Pradesh	18.10.06	The report with regard to violation awaited from Regional Office
22.	Extraction of Minor Mineral in favour of Balaji Marble and Tiles	Madhya Pradesh	24.08.06	The proposal is under examination
23.	Construction of Bus stand and parking place in favour of Nagar Panchayat	Madhya Pradesh	17.11.06	The proposal is under examination
24.	Construction of dam on Halon river for Halon irrigation project	Madhya Pradesh	5.06.06	The site inspection and essential details awaited
25.	Laying 132KV Vidisha-Gorganj transmission line in favour of MPEB	Madhya Pradesh	23.08.06	The proposal is under examination
26.	Kaneri Tank project	Madhya Pradesh	11.10.06	The proposal has been place before the Forest Advisory Committee

1	2	3	4	5
27.	Construction of Wind Farm in favour of M/s Zuslon Energy Ltd.	Madhya Pradesh	02.08.06	The proposal is under examination
28.	Laying 132 KV transmission line	Madhya Pradesh	17.11.06	Information awaited from State Government
29.	Conversion of 4/6 lane stretches of National Highways under Phase-II programme-Ladhnadon to MP/MH border from km 544 to km 652 of NH-7	Madhya Pradesh	05.04.06	The site inspection by Regional Office is to be conducted
30.	Diversion of forest land for prospecting for coal in Sahla OCM in Chandela extension block in Comp No. 258 to 262 under Dudhi Chua protected forest	Madhya Pradesh	25.10.06	The proposal has been placed before the Forest Advisory Committee
31.	Widening of road and concreating of road in favour of M/s Jayprakash Associate Cement Division	Madhya Pradesh	16.10.06	The proposal is under examination.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह बहुत ही अस्पष्ट है। मेरे प्रश्न के 'ग' भाग का जो जवाब दिया गया है, उसमें सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 384 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला गया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि राजस्व ग्राम में बदलने के बाद भी वे वन भूमि हैं। अब अगर वे वन भूमि हैं और उन्हें राजस्व ग्राम कहा जा रहा है और फिर आगे कहा जाता है कि वहां यह अनुभव किया गया है कि वहां राजस्व भूमि में बदलने से वहां के निवासियों को किसी प्रकार का भी लाभ नहीं हुआ है। लाभ कैसे होगा? अगर वे वन ग्राम हैं, तो वहां बिजली नहीं हो सकती, वहां सड़क नहीं जा सकती, वहां स्कूल नहीं बन सकता, वहां सिंचाई की योजनाएं नहीं हो सकती। अगर ये योजनाएं ही नहीं होंगी, तो वनवासियों को या अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इन वन ग्रामों को सही मायने में राजस्व ग्राम का दर्जा देकर उनके विकास के लिए क्या करेगी?

दूसरा मेरा कहना यह है कि सैटेलाइट से सर्वे हुआ है और सर्वे में यह तो बताया गया है कि जंगल का क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन जंगल का क्षेत्र बढ़ा है, यह कहा गया है, वहां जंगल नहीं है, वहां जमीन है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जंगल का घनत्व बढ़े, घना जंगल बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है? मुझे इन दो बातों का जवाब चाहिए।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि मध्य प्रदेश में forest villages से revenue villages भारत सरकार ने किए हैं, आगे क्यों नहीं हुए हैं, इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ban impose किया हुआ है, dereservation of forests, sanctuaries and park. Writ petition 337, dated 13.11.2000 में यह ban लगा दिया गया था कि इस तरीके से dereservation of land नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि forest की जमीन का जो legal status है, वह बदल नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि forest की जमीन से revenue की जमीन नहीं हो सकती है। हमने इतना तो किया हुआ है, बाकी का काम इसलिए रोक दिया गया है कि जब उन लोगों को revenue village declare कर देंगे, तो revenue village बनने से उनको जो basic facilities मिलनी चाहिए, जैसे सड़क, बिजली, पानी... (व्यवधान)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: जिन्होंने आपको declare किया है, आप उनके बारे में तो बताइए।

श्री नमो नारायण मीणा: तो वह भी रुक जाएगा। अभी forest village का जो भी development है, वह Forest Department करता है। उसके लिए पैसा होता है और दिया

जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि Tribal Ministry ने जितने भी forest villages हैं, सारे देश में 2,690 villages हैं, उनके development के लिए एक स्कीम चलाई है, जिसमें 10th Plan में 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं और हमने अभी तक इस साल 251 करोड़ रुपए release कर दिए हैं, ताकि उनका development हो सके। हम सुप्रीम कोर्ट में गए कि इस बैन को हटाएं और हम इन को डिक्लैअर करें। महोदय, मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी लोक सभा में ट्राइबल बिल पेश हो चुका है। वह ट्राइबल बिल जैसे ही पास होगा तो यह सारी प्रॉब्लम की फॉरेस्ट विलेज को रेवेन्यू विलेज डिक्लेअर करो, ऑटोमेटिकली वह कानून बन जाने के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। जिन 384 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदला गया है, उन में डवलपमेंट के काम क्यों नहीं हो रहे हैं, वे तो सुप्रीम कोर्ट के नियम के अंतर्गत नहीं आता? वहां डवलपमेंट की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? दूसरा सवाल यह कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपको 35 प्रोजेक्ट्स स्वीकृति के लिए भेजे हैं, उनमें से 10 प्रोजेक्ट्स आप के पास अभी तक लम्बित पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो 10 प्रोजेक्ट्स अभी लंबित पड़े हैं, इन को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा और जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुए, उसका क्या कारण है?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जहां तक फॉरेस्ट विलेजेज में डवलपमेंट का प्रश्न है, मैंने यह अनुरोध किया कि फॉरेस्ट विलेजेज के डवलपमेंट की जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। उसके लिए पैसा रहता है और उनको बेसिक एमेनिटीज स्टेट गवर्नमेंट के प्लानिंग फंड से होती रहती है। साथ ही जितने भी फॉरेस्ट विलेजेज हैं, उनके डवलपमेंट के लिए भी ट्राईबल मिनिस्ट्री ने हमारे एफ॰डी॰एज॰ के मार्फत पैसा रिलीज किया है और फॉरेस्ट विलेजेज का डवलपमेंट भी मध्य प्रदेश और सारी स्टेट्स में हो रहा है। महोदय, दूसरा प्रश्न स्कीम्स के बारे में है। मैंने उत्तर के एनेक्श्चर में आपको बताया है कि 31 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 31 प्रपोजल्स फॉरेस्ट क्लिअरेंस के लिए पेंडिंग चल रहे हैं। सर यह एक ongoing process होती है, इसलिए given time पर कुछ-न-कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग रहेंगे। उस वजह से इनमें से कुछ प्रपोजल्स ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के तीन प्रपोजल्स तो ऐसे हैं जिन में सुप्रीम कोर्ट में 15 सितम्बर और 28 नवम्बर को एक डाइरेक्शन दे दी गयी कि under the rule एफ॰ए॰सी॰ का जो कम्पोजीशन बनाया हुआ है, उसका reconstitution किया जाए। हम ने वह reconstitution के लिए 12 दिसम्बर को भेज दिया है। आज उस की पेशी है और अगर वहां से यह approve हो जाता है, फिर जो भी कानून की कार्यवाही होगी, वह होगी। तो कुछ तो इस वजह से पेंडिंग हैं, कुछ sight inspection की वजह से पेंडिंग हैं और कुछ हमारे मंत्रालय में पेंडिंग हैं। महोदय, इस वाले का सारा टाइम-फ्रेम दिया होता है कि कितने दिन में करेंगे। अगर फ्रेश प्रपोजल है तो उसका अलग टाइम है, रिन्युअल का प्रपोजल है तो उसका अलग टाइम

है। This is an ongoing process. सर, जैसे ही ये सारी चीजें फॉर्मुलेट होती हैं, हम जल्दी-से-जल्दी सारे प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे। सर, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का ही नहीं, सारे देश में एक दिसम्बर तक सिर्फ 52 मामले पेंडिंग थे, हमारी टाइम लिमिट फिक्सड है। तो कोई ज्यादा पेंडेंसी नहीं है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम ने दो साल में मध्य प्रदेश में 97 मामले मंजूर किए हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: महोदय, न जंगल के घनत्व का जवाब दिया है और न लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स का जवाब दिया है। वह तो प्रक्रिया है, ऐसा कहा जा रहा है। सभापति जी, जवाब तो ठीक मिलना चाहिए।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्या: चेयरमैन सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैं तो देखता हूं ...(**व्यवधान**)... लेकिन देखने से आपका नम्बर नहीं आएगा।

श्री मोती लाल वोरा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो वन ग्राम हैं, आप भी इस बात से भली-भांति परिचित होंगे कि अभ्यारण्य के बन जाने के कारण वन ग्रामों में किस प्रकार की परिस्थितियां वहां के रहने वालों को होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मध्य प्रदेश के 384 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला है। यह सही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो 421 वन ग्राम हैं, उनको राजस्व ग्रामों में बदलने की दिशा में आपने क्या कोई कार्रवाई की है? एक प्रश्न तो यह है।

दूसरा यह है, माननीय सभापति महोदय, कि 10 परियोजनाएं आज पर्यावरण विभाग के पास लम्बित हैं। इन परियोजनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है अगर हम उसे देखें तो ऐसा लगता है कि विभाग के द्वारा इन परियोजनाओं को क्लियरेंस देने में काफी विलम्ब किया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने छठे महीने में ही इन सारी परियोजनाओं को रखा है। लेकिन अगर आप देखें, तो ये दस परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की हैं। अगर इन दस परियोजनाओं में माननीय मंत्री जी इस बात का निर्देश दे दें कि समय सीमा के अन्तर्गत इन परियोजनाओं का क्लीयरेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिया जाए, तो यह सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, यह तो उनके विभाग से सम्बन्धित है। क्या माननीय मंत्री इसका जबाव देंगे?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जैसा मैंने फॉरेस्ट विलेजेज के सम्बन्ध में अर्ज किया कि हमने इन विलेजेज को, सुप्रीम कोर्ट से जो बैन का आदेश आया, उसके बाद भी किया। ये

सारे-के-सारे केसेज उनके बाद ही किए। लोगों को यह हुआ कि, हमने उनका रेवेन्यु विलेजेज भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लैंड को बदल नहीं पाये, फॉरेस्ट से रेवेन्यू लैंड में बदल नहीं पाये। इससे न तो इनका उधर डेवेलपमेंट होगा और न इधर ही डेंवलपमेंट होगा।

दूसरा, मैंने आपसे अनुरोध किया है recognition of Tribal Bill पार्लियामेंट में आ गया है और यह जल्दी ही आपके सामने भी आएगा। इससे ये सारी समस्याएं एक साथ हल हो जाएंगी। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले भी इनके डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करता रहा है। दूसरी स्कीम्स के तहत भी हमने हरेक विलेज को, जो भी फॉरेस्ट विलेजेज हैं, उनमें से सबको 15-15 लाख रुपए उनकी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज के लिए उपलब्ध कराए जाते रहे है। हमने इस साल भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे विलेजेज को उपलब्ध कराया है और हम आगे भी कराएंगे। देश में सारे-के-सारे 2,690 विलेजेज को इस स्कीम के तहत मदद दी जा रही है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूँ कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। लेकिन जो परियोजनाएँ उनके विभाग के पास लम्बित हैं, उन परियोजनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया, अगर आप उसे देखें, तो उसमें यह है कि प्रस्ताव की जाँच की जा रही है, प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाएगा , लिस्ट का निरीक्षण किया जाएगा। ये ऐसे मामले हैं कि इस विभाग के माननीय मंत्री जी यदि अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दें कि इन परियोजनाओं के क्लीयरेंस से सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है....।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: यही तो मैंने भी पूछा था।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जो लिस्ट आपके पास 8वें महीने में आई, 10वें महीने और 11वें महीने में आई है, 15 सितम्बर से तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से सारा काम हेल्ड-अप है। इस प्रकार 15 सितम्बर के बाद से तो कोई काम ही नहीं हुआ। मैं आपको यह आश्वासन दे रहा हूँ कि हमारे पूरे देश में सिर्फ 52 ही पैंडिंग हैं, तो इसको जैसे ही यह जल्दी हो जाते हैं, we will decide it this way or that way at the earliest.

श्रीमती वृंदा कारत: सर, इस सवाल से एक बुनियादी मुद्दा जुड़ा हुआ है और वह है – diversion of forest land for non-forestry purposes. अगर हम लिस्ट को देखते हैं, तो इनमें से लगभग 40 प्रतिशत जो प्रोपोजल्स अभी पेंडिंग हैं, वे प्राइवेट पार्टीज के साथ हैं, जो फॉरेस्ट लैंड को, प्राइवेट पार्टीज को, माइनिंग वगैरह के लिए दिया जा रहा है। इसी के साथ-साथ आज के प्रश्न काल में एक और सवाल है कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कितना कम हो रहा है।

मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी कि forest land to non-forestry purposes में जो डाइवर्जन है, यह दोनों प्रदेशों तथा अन्य प्रदेशों में भी ऐसी कितनी जमीन, फॉरेस्ट लैंड की कितनी जमीन प्राइवेट पार्टीज को दी जा रही है और उसके बारे में सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, ताकि हमारा फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रख कर एक मुख्य दृष्टि बनाई जाए।

श्री सभापति: अभी यह इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकेंगे, यदि जवाब देते हों तो दे दें।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जहां तक डायवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड का सवाल है, डेवलपमैंटल एक्टिविटीज के लिए किसी भी स्टेट गवर्नमैंट से जो प्रस्ताव आते हैं, चाहे वे माइनिंग के हों, डैम कंस्ट्रक्शन के हों, रोड कंस्ट्रक्शन के हों, हम उनको परमिशन देते है। जब से हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट का प्रोसीजर ले डाउन किया है, हम एक साल में 25,000 हेक्टेयर के आस-पास जमीन डायवर्स कर रहे हैं, जबकि पहले यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट नहीं था और तब एक या सवा लाख हेक्टेयर जमीन होती थी। अत: ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बैलेंस बनाया जा रहा है कि फॉरेस्ट भी बचा रहे और डेवलपमैंटल ऐक्टिविटीज भी चलती रहें।

श्रीमती वृंदा कारत: मैंने प्राइवेट पार्टीज के बारे में पूछा है।

श्री नमो नारायण मीणा: प्राइवेट पार्टीज के संबंध में हमारे पास स्टेट गवर्नमैंट से प्रस्ताव आते हैं और स्टेट गवर्नमैंट के आधार पर ही हम परमिशन देते हैं और जहां डेवलपमैंटल एक्टिविटीज हों तो ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं उनका क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट है, उनका क्वेश्चन है कि प्राइवेट पार्टीज को फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर करने के लिए आपके पास कितनी जानकारी है?

श्री नमो नारायण मीणा: मेरे पास अभी प्राइवेट पार्टीज के संबंध में जानकारी नहीं है, मैं माननीय सदस्य को यह भेज दूंगा।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का नहीं है, यह हिमाचल के साथ भी जुड़ता है। हिमाचल में फॉरेस्ट होने की वजह से परमिशन न मिलने के कारण कई सड़कें, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट के अंतर्गत सारा जंगल होने की वजह से बन नहीं पाती हैं। यहां तक कि वहां पर पंचायतघर भी नहीं बन पाते हैं, पटवार--सर्कल नहीं बन पाते है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो इंस्पैक्शन है, इसमें क्या आप स्टेट गवर्नमैंट को यह अख्तयार देंगे कि जो फॉरेस्ट से संबंधित डेवलपमैंट का काम है,वे लोग वहीं पर उसका निवारण कर सकें। क्या मंत्री जी इस बात के लिए निर्देश देंगे?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जहां तक माननीय सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में सवाल उठाया है, इसको प्राथमिकता दी जा रही है और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित जितने भी मामले आते हैं, उनको बहुत तेज गति से स्वीकृति दी जाती है। अगर इस तरह को कोई स्पैशल केस माननीय सदस्य के पास हो तो हमें बताएं, उसके बारे में हम जल्दी क्लीयरेंस देंगे।

*342. [The questioner(s) (Shri Ram Jethmalani and Shri Ravi Shankar Prasad) were absent. For answer *vide* page 38 infra.]

Bogibeel rail-cum-road bridge

*343. SHRI SILVIUS CONDPAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Bogibeel rail-cum-road bridge over Brahmaputra river in Assam would be declared as a National Project; and

(b) when the construction works of this bridge started and by when it is expected to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R.VELU): (a) to (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The proposal for declaring Bogibeel-rail-cum-road project as "National Project" was considered by the Government. It was directed that the project be implemented through a Special Purpose Vehicle (SPV) for which funds be located in consultation with Ministry of Finance and the Planning Commission. As the project is financially non-viable, funds mobilization through SPV mechanism may not be amenable. The proposal to fund the project as 'National Project is under further consideration of the Government.

(b) The work on this project was commenced on 21.04.2002. Project is targeted for completion by 2010-11 subject to availability of resources.

SHRI SILVIUS CONDPAN: Sir, I have been the answer of the hon. Minister given in two parts. In part (a) of his reply, the hon. Minister says that the project is financially non-viable. Again, the hon. Minister is replying that it is being considered by the Planning Commission to make it a